पत्रांक–05/न0वि0/वि0–37/2019–4216 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–8/8/19

विषयः– **नगर निकायों के क्षेत्र के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की तकनीक एवं संरचना अपनाने वाले धृति या सम्पति पर सम्पति कर में 5 प्रतिशत छूट दिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के नगर निकायों के क्षेत्र के अन्तर्गत भू–जल स्तर के क्षरण को रोकने हेतु कतिपय दिशा–निदेश निर्गत किये गये है।

इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 11 (3) भी अवलोकनीय है, जिसमें निम्नवत् प्रावधान है :–

"11 (3) ऐसी कोई धृति या सम्पति जिसमें वर्षा जल संरक्षण की तकनीक और संरचना अपनायी गयी हो, तो उस पर कुल सम्पति कर में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।"

अतएव अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 11 (3) के प्रावधानों के आलोक में तत्काल चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) में वर्षा जल संरक्षण की तकनीक और संरचना अपनाये जानेवाले धृतियों या सम्पतियों के सम्पति कर में छूट दिये जाने की कार्रवाई की जाय तथा इसके लिए नगर निकाय क्षेत्र के नागरिकों को प्रेरित एवं जागरूक करने हेतु प्रचारित किया जाय।

विश्वासभाजन,

8/8/2019

सरकार के प्रधान सचिव।